राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी वि.एवं प्रो.रा.यो/2011–12/ 1184 दिनांकः 04/XI/2011

देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना नियम 2011

राजस्थान मूल की विशेष पिछडे वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] की छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं (सीनियर सैकण्ड्री) परीक्षा में पूर्णतयाः 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययन हेतु प्रवेश लिया हो, उनकी प्रतिशत वरीयता के आधार पर (वरियता सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली) प्रथम 500 छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण तथा डिग्री प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा में क्रमशः पूर्णतयाः 60 प्रतिशत या अधिक अंक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु राज्य सरकार निम्न नियम बनाती हैः–

1– संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्रः–

(1) इस योजना का नाम देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण तथा प्रोत्साहन राशि योजना होगा ।
(2) यह नियम विशेष पिछडे वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना संचालन नियम 2011 कहलायेंगे ।
(3) यह नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होंगे ।
(4) यह नियम 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होंगे ।

2– परिभाषाएँः–

(1)राज्य सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है ।
(2) विभाग से तात्पर्य निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार से है ।
(3) प्रमुख शासन सचिव से तात्पर्य प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान से है।
(4) निदेशक से तात्पर्य निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान से है ।
(5) प्राचार्य से तात्पर्य राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य से है ।
(6) देव नारायण छात्रा से तात्पर्य राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष पिछडे वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] की छात्रा जो राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत् हो, से है।
(7) मूल निवासी से तात्पर्य वह विशेष पिछडे वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] की छात्रा से है, जिसका जन्म राजस्थान राज्य में हुआ है तथा अभ्यार्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र हो ।

3– योजना का उद्देश्यः–

विशेष पिछडे वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है ।

4– **योजना के तहत देय लाभः–**

(1) **स्कूटी वितरण** :– राजस्थान मूल की विशेष पिछडे वर्ग की वे छात्राएँ जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं (सीनियर सैकण्ड्री) परीक्षा उत्तीर्ण में पूर्णतयाः 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययन हेतु प्रवेश लिया हो, उनकी प्रतिशत वरीयता सूची बनाकर प्रथम 500 (पांच सौ) (12वीं बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली प्रथम 500 छात्राएँ) छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण की जावेगी।

स्कूटी वितरण के साथ एक वर्ष का बीमा, दो लीटर पेट्रोल (एक बार ही) तथा छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा ।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंकतालिकाओं में प्राप्तांक प्रतिशत निकला हुआ होना चाहिये ।

स्नातक डिग्री से तात्पर्य बी.ए., बी.कॉम. और बी.एससी. से है ।

उक्त योजना के तहत जिस छात्रा को स्कूटी दी जावेगी उसे अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति या आर्थिक सहायता का लाभ देय नहीं होगा ।

(2) **प्रोत्साहन राशि** :– राजस्थान मूल की विशेष पिछडे वर्ग की वे छात्राएँ जो राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत् है, उनके द्वारा स्नातक प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः पूर्णतयाः 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है उन्हें क्रमशः द्वितीय वर्ष में रूपये 10,000/– और तृतीय वर्ष में रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र)वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (पी.जी. डिग्री प्रवेश वर्ष) में रूपये 20,000 (रूपये बीस हजार मात्र) वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतयाः 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में रूपये 20,000 (रूपये बीस हजार मात्र) वार्षिक बतौर प्रोत्साहन राशि दी जावेगी । उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा को देव नारायण उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना में लाभ देय नहीं होगा ।

स्नातकोत्तर डिग्री से तात्पर्य एम.ए, एम.कॉम. तथा एम.एससी. से है ।

5– **पात्रताः**– पात्रता की निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर लाभ देय होगा :–

(1) योजना का लाभ विशेष पिछडे वर्ग की उन छात्राओं को ही प्राप्त होगा जो राजस्थान की मूल निवासी है तथा राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत् है ।
(2) छात्रा के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 2,00,000/– (रूपये दो लाख) से कम होनी चाहिये ।
(3) योजना का लाभ अविवाहित छात्राओं को ही देय होगा।
(4) जिन छात्राओं को देव नारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति मिल रही हो, उन्हें इस योजना के तहत स्कूटी/प्रोत्साहन राशि देय नहीं है।

6– **आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेजः–**

1– राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश हेतु फीस जमा रसीद की प्रमाणित फोटो प्रति ।
2– गत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका की प्रमाणित फोटो प्रति ।
3– मूल निवास प्रमाण पत्र जो राजस्व अधिकारी तहसीलदार द्वारा दिया गया हो, की प्रमाणित फोटो प्रति ।
4– जाति प्रमाण पत्र विशेष पिछडे वर्ग का जो राजस्व अधिकारी तहसील द्वारा जारी किया गया हो, की प्रमाणित फोटो प्रति ।
5– माता–पिता/अभिभावक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराना नहीं हो । माता–पिता नहीं होने की स्थिति में ही अभिभावक का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा तथा माता– पिता नहीं होने का तत् संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
6– छात्रा के एस.बी.बी.जे. बैंक बचत खाता पास बुक की फोटो प्रति जिससे भुगतान सुगमता से हो सके ।

7– आवेदन प्रकिया :–

1– विशेष पिछडे वर्ग की छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पूर्णतयाः भरकर एवं स्वयं का फोटो चस्पा कर गत वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र , मूल निवास प्रमाण पत्र, एडमिशन हेतु फीस जमा रसीद की प्रमाणित छाया प्रतियां, एस.बी.बी.जे. बैंक खाता पास बुक की फोटो प्रति तथा आय प्रमाण पत्र के साथ अध्ययनरत् महाविद्यालय के प्राचार्य को दिनांकः **25–11–2011** तक जमा कराना होगा । आवेदन पत्र कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट www.//collegeeducation.gov.in पर उपलब्ध है ।

2– प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जांच कर प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, संकाय, पता अंकित करते हुए प्रमाणित एवं हस्ताक्षर कर निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर में दिनांकः **30–11–2011** तक जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

8– भुगतान प्रक्रियाः– निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर में प्राचार्यो से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर राजकीय महाविद्यालयों के डिग्री प्रथम में अध्ययनरत् समस्त राजस्थान की विशेष पिछडे वर्ग की छात्राओं की प्रतिशत वरीयता सूची बनाकर प्रथम पांच सौ छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण की कार्यवाही की जावेगी । डिग्री अध्ययनरत् द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर छात्राओं को बैंक खातों के माध्यम से प्रोत्साहन राशि वितरण संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।

9– बजट प्रावधानः– योजना के लागू किये जाने हेतु निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा वित्त विभाग से बजट आवंटन तथा बजट मद खुलवाकर, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग को प्रेषित करेंगे ।

10–आय प्रमाण पत्र के प्रयोजनार्थ उल्लेख है कि :–

आय परीक्षण के प्रयोजन के लिए माता पिता एवं छात्रा सभी की आय को सम्मिलित किया जावेगा ।

1– वेतन भोगी कर्मचारी आय का प्रमाण पत्र नियोक्ता अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें । वेतन भोगी कर्मचारियों की वार्षिक आय से आशय वेतन एवं समस्त भत्तों से है । वेतन भोगी कार्मिकों में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/ इनके बोर्ड/कोर्पोरेशन, बैंक, एल.आई.सी कम्पनी तथा फैक्ट्रीज में नियोजित कार्मिक सम्मिलित है ।

2– पेंशन भोगी कर्मचारी पेंशन आदेश की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें साथ ही पेंशन एवं मंहगाई भत्तों का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें ।

3– अन्य स्त्रोतों से आय के मामलों में आयकर लगने वाले व्यक्ति को आयकर विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें गत वर्ष की वास्तविक आय दर्शायी जानी चाहिये ।

4– वेतन / पेंशन भोगी कर्मचारियों के अलावा सभी को राजस्व अधिकारी तहसीलदार से आय प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा ।

11– नियमों का विनिर्णयः– इन नियमों की व्याख्या प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा की जावेगी जिनका निर्णय अन्तिम होगा ।

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा
राजस्थान, जयपुर